

**कार्यालय नियंत्रक**  
**गो0 ब0 पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पन्तनगर**  
**जिला – ऊधमसिंह नगर**

पत्रांक : वि0नि0/आयकर/780/1256

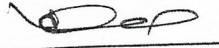
दिनांक: दिसम्बर/8 2025

**समस्त अधिष्ठता/निदेशक/विभागाध्यक्ष।**

अवगत कराना है कि आयकर विभाग द्वारा आयकर अधिनियम 2025 की धारा 397 (3)(f) में संशोधन करते हुए कटौतीकर्ता/संग्रहकर्ता द्वारा सुधार विवरण/संशोधित त्रैमासिक रिटर्न (24Q एवं 26Q) दाखिल किये जाने की समयसीमा, वित्तीय वर्ष की समाप्ति से दो वर्ष तक निर्धारित की गयी है। वित्तीय वर्ष 2018-19 (चतुर्थ त्रैमास), 2019-20 से 2022-23 तक (समस्त त्रैमास) तथा वित्तीय वर्ष 2023-24 (प्रथम से तृतीय त्रैमास) तक के सुधार विवरण/संशोधित त्रैमासिक रिटर्न स्वीकार करने की अंतिम तिथि 31.03.2026 है।

उपर्युक्त के क्रम अपने महाविद्यालय/विभाग से सम्बंधित यदि किसी कार्मिक के पूर्व वित्तीय वर्षों में स्रोत पर की गयी आयकर कटौती (TDS), सम्बंधित के पैन्/26AS में प्रदर्शित नहीं हो रही हो तो ऐसे प्रकरण समस्त साक्ष्य सहित (सम्बंधित वर्ष का आयकर विवरणी एवं फार्म-16) दिनांक 15.03.2026 से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिसके पश्चात् त्रुटियों में सुधार करते हुए वि0वि0 का सुधार विवरण/संशोधित त्रैमासिक रिटर्न दाखिल किया जायेगा। आयकर विभाग द्वारा उपरोक्त निर्धारित तिथि के पश्चात् पूर्व वित्तीय वर्षों के त्रुटियों में सुधार किया जाना सम्भव नहीं होगा एवं भविष्य में आयकर विभाग द्वारा किसी भी प्रकार का कर/ब्याज/अर्थदण्ड आदि आरोपित किये जाने की दशा में सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बंधित का होगा।

अतः उपर्युक्तानुसार अपने महाविद्यालय/विभाग के सभी शिक्षकों/अधिकारियों/कर्मचारियों को अपने स्तर से अवगत कराना सुनिश्चित करें।

  
 12/12/2025  
 नियंत्रक

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त लेखाधिकारी।
2. समस्त उप नियंत्रक।
3. प्रोग्रामर, नियंत्रक कार्यालय, IFMS को यह पत्र अपलोड करने के आशय से प्रेषित।
4. प्रभारी अधिकारी, वि0वि0 वेबसाइट, प्रौ0 महाविद्यालय, को इस पत्र को वि0वि0 वेबसाइट पर अपलोड करने के आशय से प्रेषित।
5. कुलपति जी के निजी सचिव को कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ।

/

नियंत्रक